रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 1970/कार्तिक 15, 1892
No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 1970/KARTIKA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 6th November 1970

S.O. 3649.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Air India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the said dispute involves a question of national importance and the dispute is also of such a nature that industrial establishments of Air India situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute;

And, whereas the Central Government is of opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute to the National Tribunal constituted by the Government of India in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3639 date the 2nd November, 1970 for adjudication.

SCHEDULE

"Whehther the demand of the Air Corporation Employees Union for payment in excess of the minimum bonus already offered by Air India for the accounting year 1969-70 is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?"

[No. 4/92/70/LRIII]

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1970

का०आ० 3649.—*यतः* केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वि एयर इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अन्तर्वलित है और विवाद इस प्रकार का है कि एयर इंडिया के एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवाद में रुचि लेना और उसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन एक राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा *किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद रा उक्त विवाद को भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (म और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3639 तारीख 2 नवम्बर, 1970 द्वारा गठि त राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या एयर इंडिया रा पहले से ही प्रस्थापित 1969-70 के लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस से अधिक के संदाय की एयर कारपोरेशन एम्पलायीज यूनियन की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार ह ?

[सं० 4/92/70/एल आर 3.]

आर० आनन्दाकृष्णा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970